फर्द अहकाम

सुरजमोहन वगै० बनाम सुनीता वगै०

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जयपुर

केस संख्या 117/2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	06/3/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप० वकील उभय पक्षों की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 17/3/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला-जयपुर
	17/3/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित पत्रावली आदेश हेतु विचाराधीन है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा वकील उभय पक्षों की बहस का मनन किया गया। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 राज० भू-राजस्व अधि० को स्वीकार किया जाता है तथा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जा कर शामिल मिसल किया गया। निर्णय आज खुले इजलास में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर रजिस्टर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला-जयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर, राजस्थान
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	दायर दिनांक	तारीख फैसला
177/2024	15.05.2024	17.03.2025

पुरूषोत्तम पुत्र कालूराम
भगवान सहाय पुत्र कालूराम
मन्जू पुत्री कालूराम
ललिता देवी पत्नी कालूराम
समस्त जाति ब्राहमण निवासी हिम्मत नगर, चित्रकूट, जयपुर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. सुनीता विजय पत्नी ओमकार विजय मकान नं0 66, सम्राट फोर्ट के पास, ब्रहम्पुरी जयपुर।
2. ओमकार विजय पुत्र जगदम्बा प्रसाद विजय मकान नं0 77, विजयवर्गीय सम्राट गेट के पास, संतोश सागर कॉलोनी नं0 4 ब्रहम्पुरी जयपुर।
3. आलोका लोढा पत्नी मनीष लोढा मकान नं0 288, 289 हिम्मत नगर, दुर्गापुरा, टोक रोड जयपुर।
4. मीनूवाय लोढा पत्नी यशवन्त लोढा मकान नं0 288, 289 हिम्मत नगर, दुर्गापुरा, टोंक रोड जयपुर।
5. राज्य सरकार जरिए तहसीलदार जमवारामगढ, जिला जयपुर।

प्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषक

श्री राजेश कुमार पारीक :— वकील प्रार्थीगण।
श्री रामजीलाल मीना :— वकील अप्रार्थीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम बाबत दुरूस्ती

—:निर्णय :—

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थनापत्र विरूद्ध अप्रार्थी अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 रा0 लैण्ड रेवन्यू एक्ट के तहत् पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 49 रकबा 11.1200है0 ग्राम निमडिया, तहसील जमवारामगढ में स्थित है जिसके गत खसरा नम्बर 1056 थे तथा अप्रार्थी सं0 1 ता 4 की भूमि खसरा नम्बर 401/48 रकबा 3.0600है0 एवं खसरा नम्बर 400/48 रकबा 6.4500है0 प्रार्थीगण से लगती भूमि है जिसके पूर्व खसरा नम्बर 1055 थे। प्रार्थीगण की भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 49 गत खसरा नम्बर 1056 के उत्तर पूर्व दिशा में अप्रार्थीगण की भूमि स्थित है। जिसमें गत नक्शें और वर्तमान नक्शें में त्रुटिपूर्ण तरीके से प्रार्थीगण का नक्शा छोटा कर करीब डेढ बीघा भूमि नक्शें मे कम दर्शायी गई है जिसे संलग्न नजरी नक्शें मौके मे लाल रंग से दर्शाया गया है। गत नक्शें में भूमि खसरा नम्बर 1056 के नक्शें को वर्तमान खसरा नम्बर 49 के नक्शें में उत्तरी पूर्वी सीमा मे करीब डेढ बीघा रकबा कम करके दर्शाया गया है जो अप्रार्थीगण की भूमि में दर्शा दिया गया है। अर्थात अप्रार्थीगण की भूमि गत खसरा नम्बर 1055 को दक्षिणी पश्चिमी सीमा में डेढ बीघा रकबा बढा कर दर्शाया गया है इस प्रकार गत खसरा नम्बर 1056 का रकबा कम कर दिया गया है। संलग्न नजरी नक्शे मे लाल रंग से दर्शित स्थान पर प्रार्थीगध्ण का कब्जा है और प्रार्थीगण के निर्माण किया हुआ है और पुख्ता बाउन्ड्रीवाल की हुई है जबकि उक्त लाल रंग के स्थान को खसरा नम्बर 401/48, 400/48 का भाग वर्तमान राजस्व नक्शें मे दर्शाया गया है जो त्रुटिपूर्ण है एवं भौतिक स्थिति के विपरित है वास्तविक रूप से उक्त लाल दर्शित स्थान पर प्रार्थीगण का कब्जा है। मौके पर जो बाउन्ड्रीवाल प्रार्थीगण द्वारा गत नक्शें

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला–जयपुर

अनुसार बनवाई गई है उसी अनुसार पक्षकारान काबिज है और उसी अनुसार प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की भूमि के वर्तमान नक्शें को दुरूस्त किया जाकर गत नक्शें अनुसार कायम किया जाना आवश्यक है। अतः खसरा नम्बर 49 एवं 401/48, 400/48 स्थित ग्राम निमडिया, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर के राजस्व नक्शें में दुरूस्ती की जाकर त्रुटिपूर्ण नक्शें को दुरूस्त करते हुए संलग्न नजरी नक्शे मौके मे लाल रंग से दर्शित स्थान को खसरा नम्बर 49 में गत नक्शें अनुसार शामिल करते हुये नक्शा दुरस्त किया जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगणों की तलबी जारी की गई। अप्रार्थी सं0 1 ता 4 की ओर से एडवोकेट श्री रामजीलाल मीना ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। जो शामिल पत्रावली है। जवाब प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि प्रा0 पत्र की मद सं0 1 स्वीकार है तथा मद सं0 2 में वर्णित कथन मनगठन्त व काल्पनिक व आधारहीन होने के कारण अस्वीकार है। क्योकि प्रार्थीगणो का नक्शें में कोई अन्तर नही है ओर ना ही मौके पर डेढ बीघा जमीन कम बताना कापोल व काल्पनिक झुठ है। बल्कि वास्तविक रूप मौके पर प्रार्थीगणों ने अप्रार्थीगणों की दो बीघा भूमि पर दादागिरी के बल पर कब्जा कर रखा है, जिसका प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में विचाराधीन है जबकि बेदखली के प्रार्थना पत्र के आदेश हो चुके थें। परन्तु राजनीतिक प्रभाव से आदेशों की पालना नही होने दिया गया है। जो कि इस प्रार्थना पत्र को इसी स्टेज पर खारिज फरमाने के आदेश प्रदान करें। मद सं0 अस्वीकार है। क्योकि मौके पर पुराने ओर नवीन नक्शा में किसी प्रकार का न तो कोई अन्तर है ओर न ही जमीन कम पडती है बल्कि प्रार्थीगणों द्वारा कोर्ट में दावों की संख्या बढाना एवं अप्रार्थीगणों से रंजीस रखने के कारण जो 183 बेदखली का प्रार्थना पत्र सं0 56/2024 का उनवान आलोढ लोढा बनाम पुरूषोत्तम मे हल्का पटवारी द्वारा 02.05.2024 को खसरा नम्बर 401/48 रकबा 3.06है0 पर सीमाज्ञान के दौरान अप्रार्थीगणों की भूमि पर लगभग 0.45है. पर अप्रार्थीगणों का अवैध रूप से कब्जा किया गया है जो कि इस प्रार्थना पत्र को इसी स्टेज पर खारिज फरमाने के आदेश प्रदान करें। अतः प्रार्थीगणों द्वारा झुठे एवं मनगठन्त तथा काल्पनिक तथा अप्रार्थीगणों के राजस्व कामों को अटकाने के उद्वेश्य से किया गया प्रार्थना पत्र को इसी स्टेज पर खारिज फरमाने के आदेश प्रदान करे ताकि अप्रार्थीगणों को माननीय न्यायालय से जो 183 बेदखली के प्रार्थना पत्र के निस्तारण किया जा सकें।

अप्रार्थी सं0 5 (पैरोकार सरकार) ने अपने पत्रांक/एल0आर0/24 /5133 दिनांक 01.
10.24 द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की। जिसे शामिल मिसल किया गया। तहसीलदार
(पैरोकार सरकार) अपनी रिपोर्ट/जवाब में निवेदन किया कि ग्राम निमडिया के आराजी खसरा
नम्बर 49 रकबा 11.12है0 की खातेदारी मुताबिक जमाबन्दी खाता सं0 18 के अनुसार पुरूषोत्तम
पुत्र कालूराम, भगवान सहाय पुत्र कालूराम, मंजू पुत्री कालूराम, ललिता देवी पत्नि कालूराम जाति
ब्राहमण के नाम दर्ज रिकार्ड है। वर्तमान में खसरा नम्बर 49 के साबिक खसरा नम्बर 1056 है।
खसरा नम्बर 400/48 व खसरा नम्बर 401/48 गत खसरा नम्बर 1055 है। खसरा नम्बर 1056
का क्षेत्रफल रकबा बरारी करने पर 11.36है0 है। जबकि वर्तमान खसरा नम्बर 49 की रकबा बरारी
करने पर 10.84है0 आता है। गत खसरा नम्बर 1055 की रकबा बरारी करने पर 9.52है0 वर्तमान
खसरा नम्बर 401/48, 400/48 की रकबा बरारी करने पर 9.26है0 आता है। वर्तमान खसरा
नम्बर 49 गत खसरा नम्बर 1056 के तीनों तरफ पक्की बाउन्ड्रीवाल बनी हुई तथा एक तरफ
मिट्टी की डोल व तारबन्दी कर रखी है। बाउन्ड्रीवाल के पास पेड लगा रखे है। जमाबन्दी अनुसार
खसरा नम्बर 48 का रकबा 9.51है0 जो कि तकासमा होने पर 400/48 रकबा 6.45है0 के खातेदार
ओमप्रकाश, विजय पुत्र जगदम्बा प्रसाद विजय, सुनिता विजय पत्नि ओमप्रकाश विजय, ललित
कुमार बागा पुत्र कृष्ण लाल बागा खसरा नम्बर 401/48 रकबा 3.06है0 के खातेदार आलोका लोढा
पत्नि मनिष लोढा, मीनूवास लोढा पत्नि यशवन्त लोढा के नाम दर्ज है। खसरा नम्बर 49 रकबा 11.
12है0 जो पुरूषोत्तम पुत्र कालूराम, भगवान सहाय पुत्र कालूराम, मंजू पुत्री कालूराम, ललिता देवी
पत्नी कालूराम जाति ब्राहमण के नाम खातेदारी वर्तमान नक्शें में रकबा कम दर्शाया गया है। खसरा
नम्बर 49 का रकबा जमाबन्दी अनुसार 11.12है0 है। वर्तमान नक्शें की रकबा बरारी करने पर रकबा
10.84है0 आता है। प्रार्थी द्वारा उपलब्ध एकीकरण नक्शें व वर्तमान नक्शें का मिलान करने पर
मिलान नही होता है। खसरा नम्बर 49 के तीन ग्रामों की सीमा लगती है। वकील उभय पक्षों की
बहस सुनी गई।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला-जयपुर